न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 119/19 निर्णय दिनांकः–22–01–2020
(आरसीएमएस संख्या 2019/00182)

1. सुखराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25–11–1995
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 25–11–1995 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 5 एपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/22 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने पर व बाद में उपनिवेशन तहसील पूगल में स्थानान्तरित होने पर अपीलांट को पुनः चक 8 सीएम के मुरब्बा नम्बर 6/6 के किला नम्बर 1 ता 21 में 21 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा उक्त आवंटन की पालना में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गय, परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही बतौर एमएमएफआर में अन्य व्यक्ति मानदास पुत्र गोपालदास को आवंटित है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—11—1995 के विरूद्व अपील दिनांक 04—07—19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—11—1995 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 04—07—2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके समर्थन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06–05–1985 को दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सात वर्ष उपरान्त दिनांक 07–11–1988 को अपीलांट को सक्षम मानते हुए दिनांक 19–11–1998 को उपनिवेशन तहसील कोलायत चक 05 एपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/22 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने के कारण आराजी जैर का कब्जा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सका। उक्त कार्यवाही के करीब 07 वर्ष उपरान्त अचानक पत्रावली सुनवाई हेतु लेकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विनिमय में चक 8 सीएम के मुरब्बा नम्बर 6/6 के किला नम्बर 1 ता 21 की 21 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई। इसकी सूचना भी आवेदक को नहीं दी तथा कालान्तर में यह भी किसी अन्य को बतौर एमएमएफआर आवंटित कर दी गई। वर्तमान में उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार मानदास पुत्र गोपालदास जाति स्वामी है।

इसप्रकार अपीलांट/आवेदक को 10 साल तक इंतजार में रखा गया तथा उसके आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की उसे सूचना नहीं दी गई। तत्पश्चात् आगामी 10 साल तक उसके आवंटन का अमल दरामद या खारिज करने की कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक के साथ आवंटन अधिकारियों का कूर मजाक है। जिस आवंटन आदेश की आगामी 10 साल तक क्रियान्विती नहीं हुई तथा राजस्व/उपनिवेशन विभाग के अधिकारी अपना रिकार्ड अपडेट नहीं कर पाये। ऐसे आवंटन का अब कोई अस्तित्व नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–11–1995 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पूर्व आवंटन की क्रियान्विती की जॉच की जाकर पूर्व आवंटन प्रभावी नहीं पाये जाने पर अपीलांट की सक्षमता के अनुसार नये सिरे से आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22–01–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 16:08:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: